प्रेस नोट दिनांक 18-06-2024 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा फर्जी जेल अधीक्षक बन फर्जी दस्तावेजो के आधार पर नौकरी व ठेका दिलाने वाले शातिर अभियुक्त बृजेश को किया गिरफ्तार।

- **अभियुक्त बृजेश उत्तर प्रदेश कारागार का प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल कर खुद को जेल अधीक्षक बताकर वरिष्ठ उच्चाधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर विभिन्न जिला कारागारों के फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लोगो को नौकरी दिलवाने के नाम पर करता था ठगी।**
- **जिला कारागारो में ठेकेदारी का काम दिलाने के नाम पर अभियुक्त द्वारा की गयी लाखों रुपयों की ठगी।**
- **शातिर अभियुक्त को 30 हजार रुपये व भारी मात्रा में फर्जी दस्तावजो के साथ किया गया गिरफ्तार।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा दौराने चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन के थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 388/2024 धारा 420/406/467/468/471 भादवि में वाँछित 01 अभियुक्त बृजेश कुमार मिश्रा पुत्र आरसी मिश्रा निवासी 228 बाबा नगर सरस्वती ज्ञान कुंज स्कूल नौबस्ता कानपुर नगर को थाना रसूलपुर के पास बसई मौहम्मदपुर जाने वाले पुल के ऊपर से दिनांक 18.06.2024 समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण

दिनांक 11.06.2024 को वादी श्री धीरज यादव पुत्र चन्द्रभान यादव निवासी ग्राम अरसैना थाना सिकन्दरा जनपद आगरा से साई लॉज आकर वादी के नाम से फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर 30 हजार रुपये की ठगी कर ले जाना तथा उमाशंकर यादव पुत्र भाव सिंह निवासी ग्राम सिकहरा फिरोजाबाद के नाम से कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 06 लाख रुपये ठगी कर ले जाने एवं कमल सिंह परिहार व राजकुमार से जिला कारागार में नौकरी व ठेकेदारी का काम दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखो रुपयों की ठगी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना उत्तर पर मु0अ0सं0 388/2024 धारा 420/406/467/468/471 भादवि दिनांक 17.06.2024 को पंजीकृत किया गया था घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल टीमों का गठन करते हुए स्वयं व पुलिस फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताये स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से मैपिंग कर उक्त शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

1.बृजेश कुमार मिश्रा पुत्र आरसी मिश्रा निवासी 228 बाबा नगर सरस्वती ज्ञान कुंज स्कूल नौबस्ता कानपुर नगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ब्रजेश .....

1. मु0अ0सं0 388/2024 धारा 420/406/467/468/471 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 601/2018 धारा 406/420/452/504/506 भादवि थाना कल्यानपुर जनपद पश्चिमी कमिश्नरेट कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 217/2019 धारा 170/406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद पूर्वी कमिश्नरेट कानपुर नगर
4. मु0अ0सं0 875/2019 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना कल्यानपुर जनपद पश्चिमी कमिश्नरेट कानपुर नगर

बरामदगी का विवरण

1. एक बैग के
2. चार अदद बैंक चैक
3. सप्लाई लिस्ट
4. अधिकारीयो के सेल फोन नम्बर व ई-मेल आईडी लिस्ट
5. प्रार्थना पत्र उमाशंकर
6. दो अदद रसीद
7. दो अदद लिफाफे अभियुक्त द्वारा उच्चाधिकारीगण के कूटरचित हस्ताक्षर से जारी
8. एक अदद लिफाफा अभियुक्त द्वारा उच्चाधिकारीगण के कूटरचित हस्ताक्षर से जारी
9. एक अदद आधार कार्ड विपिन कुमार
10. 30 हजार रूपये नगद

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

1.थाना रसूलपुर के पास बसई मौहम्मदपुर जाने वाले पुल के ऊपर दि0 18.06.2024 समय 10.30 बजे

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम -

1.थानाध्यक्ष वैभव कुमार सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
2. व0उ0नि0 महावीर सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
3.उ0नि0 राकेश कुमार गिरी थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
4.एचसीपी जितेन्द्रपाल राजौरिया थाना जनपद उत्तर फिरोजाबाद
5. का0 348 अमित कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
6.का0 895 चतुर्भुज बघेल थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद